D/4

रामप्रसाद बनाम सूरजमल

अपील संख्या : 18 /209

28.02.2019	अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध पेश की । अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मुख्य रूप से सीमा का विवाद है इस कारण वादी ने पक्षकारान की मौजूदगी में आराजी को नपवाने एवं पूर्ण सीमाज्ञान कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में पक्षकारान की अनुपस्थिति में आयी तहसील रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आराजी को पक्षकारान की उपस्थिति में नपाने व सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है वह पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है । दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिकोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने सें खारिज फरमाई जावे । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2018 का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से खारिज किया है । इस न्यायालय में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध एवं धारा 104 सीपीसी के तहत उल्लेखित आदेश के खिलाफ ही अपील पेश की जा सकती है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के खिलाफ अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । 28/2/19 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा